राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2008–09/अलेसे–।।/2240 दिनांकः– 12.01.2018

आदेश संख्या 288 /2017–18

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2008–09) की सिफारिशों के आधार पर श्री जयप्रकाश लम्बोरिया, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट सं. 251/86; लिंक नं. 2185) जन्म तिथि 11 जुलाई, 1965 (पात्रता सूची क्रमांक 755) जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरूद्ध सीसीए नियम 16 में, (2 प्रकरण) जिनमें विभागीय ज्ञापन दिनांक 25.01.2008 एवं 06.05.2008 को जारी किये गये थे, जांच लंबित होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री जयप्रकाश लम्बोरिया, कनिष्ठ लेखाकार को उनके विरूद्ध लंबित उक्त उल्लिखित जांच के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ.1(सी)1233/जांच/2008/643–46 दिनांक 25.08.2009 एवं एफ. 1(सी)1191/जांच/2007/662–65 दिनांक 26.08.2009 में आरोप सिद्ध नहीं होने पर व दोषमुक्त किये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पद की वेतन श्रृंखला 9300–34800 (पे बैण्ड –2), ग्रेड पे-2600/– में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। श्री जयप्रकाश लम्बोरिया (मेरिट सं. 251/86) की वरिष्ठता श्री राजेश कुमार शर्मा, (मेरिट सं. 249/86, पात्रता सूची क्रमांक 754) एवं श्री राजेन्द्र कुमार सोनी (मेरिट सं. 252/86, पात्रता सूची क्रमांक 756) के मध्य रहेगी।

श्री जयप्रकाश लम्बोरिया को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर चयन के वर्ष की अन्तिम तिथि से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री जयप्रकाश लम्बोरिया कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2008–09/अलेसे–।।/2240 दिनांकः–12.01.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग का आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक–III, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली अलेसे–II अनुभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
8. श्री...सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय...।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)

E:\sas-ii\KHANNA JI